झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 997/2023

अभिषेक वी. उन्नीथन, पिता- के. वी. उन्नीथन , निवासी सेक्टर IV ए, क्वार्टर संख्या 2217,डाकघर + थाना सेक्टर IV, जिला बोकारो, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

... विरोधी दल

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री साकेत उपाध्याय, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ताः श्री विजय कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक

निर्णय

05.12.2023 पर सी.ए.वी. **11.01.2024** पर उच्चारित

1. यह आपराधिक पुनरीक्षण 30.06.2023 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित विवादित निर्णय के खिलाफ दायर किया गया है, जो कि विविध आपराधिक आवेदन संख्या 316/2023 से संबंधित है, जो एस.टी. मामला संख्या 42/2023 से उत्पन्न हुआ है, जो सेक्टर VI थाना मामला संख्या 20/2022 से संबंधित है, जिसके द्वारा निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के विमुक्ति आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

2. इस आपराधिक पुनरीक्षण के पीछे के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, सूचनाकर्ता, अर्थात् रेजी के. जॉन ने संबंधित थाना में लिखित सूचना दी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 27.04.2022 की रात 09:00 बजे, वह अपने मित्र राजीव कुमार के साथ सेक्टर-VI शॉपिंग सेंटर जा रहा था। वहां से, वे रात 09:30 बजे अपनी स्कूटी से वापस आ रहे थे, रास्ते में, सेक्टर-V/सी बी-टाइप क्वार्टर के पास एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार आई, जिसमें अविनाश उन्निथन, अभिषेक उन्निथन, याचिकाकर्ता और संजीव कुमार तीनों सवार थे और तीनों ने उसकी स्कूटी को रोकने का प्रयास किया। स्विफ्ट कार में सवार तीनों ने स्कूटी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने स्कूटी नहीं रोकी। अविनाश उन्निथन द्वारा चलाई जा रही कार ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक किया। इसके बाद, कार में सवार व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने के इरादे से स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह और उसका मित्र राजीव गिर गए और राजीव को गंभीर चोट आई। इसके बाद, सूचनाकर्ता और उसका मित्र राजीव दोनों बी.जी.एच अस्पताल गए। अभिषेक, अविनाश और संजीव तीनों ने पहले उसे श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल से संबंधित मुद्दे पर आपराधिक रूप से धमकाया था। राजीव कुमार की पसलियाँ और बाईं हाथ की कलाई भी टूट गईं और उसे गंभीर चोट आई। इस पर, मामला अपराध संख्या 20/2022 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 325, 307, 506 और 34 के तहत तीन आरोपियों, अर्थात् अविनाश उन्निथन, अभिषेक उन्निथन और संजीव कुमार के खिलाफ सेक्टर-VI थाना, बोकारो में दर्ज किया गया।

3. जांच अधिकारी ने सबूतों के अभाव में संजीव कुमार और अविनाश उन्निथन को निर्दोष करार दिया, जबकि केवल एक आरोपी, अर्थात् अभिषेक उन्निथन, याचिकाकर्ता के खिलाफ

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 325, 307, 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच के बाद मामले को सत्र न्यायाधीश, बोकारो की अदालत में परीक्षण के लिए भेज दिया।

4. अभियुक्त अभिषेक उन्नीथन के खिलाफ सत्र न्यायाधीश, बोकारो की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान, अभियुक्त अभिषेक उन्नीथन की ओर से आरोपमुक्ती आवेदन दायर किया गया था, जिसे निचले विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2023 का विवादित आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था।

5. विवादित आदेश दिनांक 30.06.2023 से प्रभावित होकर, यह आपराधिक पुनरीक्षण इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर दायर किया गया है कि निचली अदालत ने विमुक्ति के लिए आवेदन को यांत्रिक तरीके से अस्वीकार कर दिया, जबकि एफआइआर में किए गए आरोपों और जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों से कोई पर्याप्त आधार नहीं है। विवादित आदेश में अनियमितता है, क्योंकि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को नजरअंदाज किया है, जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। उपरोक्त के दृष्टिगत, इस आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने और निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

6. मैंने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार के साथ श्री साकेत उपाध्याय और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एपीपी श्री विजय कुमार सिन्हा को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

7. यह स्थापित कानून है कि जब आरोप तय किए जाते हैं, तो अदालत को एफमें .आर.आई. किए गए आरोपों और जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्यों, अर्थात् मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। यदि एफमें किए गए आरोपों और .आर.आई. जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से आगे बढ़नेके लिए पर्याप्त आधार है, तो अदालत को विमुक्ति आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए। यदि समग्र साक्ष्यों, अर्थात् मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों और एफमें किए गए आरोपों से अदालत इस निश्चित राय में है .आर.आई. कि आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है; तो विमुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि आरोप तय करते समय अदालत न तो साक्ष्यों का मूल्यांकन कर सकती है और न ही लघु परीक्षण कर सकती है। उस चरण पर साक्ष्यों का संग्रहण या मूल्यांकन करना अनुमेय नहीं है।

8. इसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय का उल्लेख करना उचित है, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

8.1 **(2008) 14** एस. सी. सी. **504** में पैराग्राफ 13 में रिपोर्ट किए गए पलविंदर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> **"13.** पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमें यह राय है कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करते समय गंभीर त्रुटि की, क्योंकि उसने आरोप तय करने के चरण में साक्ष्यों के मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रवेश किया। सत्र न्यायाधीश की अधिकारिता, जब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **227** के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, सीमित होती है। आरोप मजबूत संदेह के आधार पर भी तय किए जा सकते हैं। उस समय अदालत के लिए साक्ष्यों का संग्रहण और मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इस मामले का यह पहलू इस न्यायालय द्वारा

राज्य उड़ीसा बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी में विचारित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया":

"23. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, स्पष्ट है कि आरोप तय करते समय या संज्ञान लेते समय आरोपी को कोई सामग्री प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। सतीश मेहरा मामले [सतीश मेहरा बनाम दिल्ली प्रशासन] में यह निर्णय लिया गया था कि विचारण न्यायालय के पास उन सामग्रियों पर विचार करने का अधिकार है जो आरोपी आरोप तय करने के चरण में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यह निर्णय सही तरीके से नहीं लिया गया है।"

8.2 (2009) 16 एस. सी. सी. 429 में पैराग्राफ 2 में रिपोर्ट किए गए सी.बी.आई. बनाम मुकेश प्रवीणचंद्र श्रॉफ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि:

"2. विवादित आदेश द्वारा, विशेष अदालत ने आरोपी रघुनाथ लेखराज वाधवा, जितेंद्र रतिलाल श्रॉफ और मुकेश प्रविनचंद्र श्रॉफ को विशेष मामला संख्या **4/1997** से विमुक्त कर दिया है। विवादित आदेश के संक्षिप्त अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विशेष अदालत ने वास्तव में विमुक्ति के आदेश के रूप में एक बरीकरण का आदेश पारित किया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आरोप तय करने के चरण में यह देखना आवश्यक है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हमारे विचार में, विशेष अदालत ने उपरोक्त आरोपियों को विमुक्त करने में न्यायसंगत नहीं था।"

8.3 ए.आई.आर. 2019 एस. सी. 2109 में अनुच्छेद 19 में दर्ज विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"19. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना है कि मुकदमा चलाने का मामला बनाया गया है या नहीं। यह सच है कि इस तरह की कार्यवाही में, न्यायालय को सबूतों को जोड़कर लघु परीक्षण नहीं करना है।

8.4 पी. विजयन बनाम केरल राज्य और अन्य 2010 (2) एस. सी. सी. 398 में पैराग्राफ 11 और 25 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"11. धारा **227** के स्तर पर, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन करनी होती है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में ले लेगी जो प्रत्यक्ष रूप से खुलासा करते हैं कि आरोपी के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके।

> **25.** जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, नए कोड में धारा **227** न्यायाधीश को विशेष शक्ति प्रदान करती है कि यदि रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद वह यह पाता है कि "आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है", तो वह आरोपी को प्रारंभिक स्तर पर ही मुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उस चरण में रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर उसका विचार केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए है कि यह जानना कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह धारा **228** के तहत आरोप तय करेगा; यदि नहीं, तो वह आरोपी को मुक्त कर देगा। यह प्रावधान कोड में इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि जब प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं दर्शाया गया हो, तब सार्वजनिक समय की बर्बादी से बचा जा सके और आरोपी को अनावश्यक उत्पीडन और खर्च से बचाया जा सके।

8.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण जीत तेजपाल बनाम गोवा राज्य और अन्य के मामले में 2019 (4) सीआर सी 208 (एस. सी.) में अनुच्छेद 9.1 से 9.5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है –

> **"9.1** एन. सुरेश रंजन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को धारा **227/228** दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप तय करने के चरण में कार्यवाही के दायरे पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला। इस बिंदु पर इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, अनुच्छेद **29** से **31** में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन और निर्णय दिया:
>
> **"29.** हमने प्रतिकूल प्रस्तुतियों और श्री रंजीत कुमार द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह सत्य है कि जब आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष का प्रवक्ता या डाकघर की तरह कार्य नहीं कर सकता और यह देख सकता है कि क्या लगाए गए आरोप निराधार हैं ताकि मुक्त करने का आदेश पारित किया जा सके। यह स्पष्ट है कि आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को यह मानकर चलना होगा कि अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सामग्री सत्य हैं और उन सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता चल सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य अपनी सतही मूल्य पर सभी तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं जो कथित अपराध का गठन करते हैं। इस चरण में, सामग्री का प्रायोगिक मूल्य देखा जाना चाहिए और न्यायालय से अपेक्षित नहीं है कि वह मामले में गहराई से जाए और यह तय करे कि सामग्री एक दोषसिद्धि का समर्थन नहीं करती। हमारे अनुसार, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है और यह नहीं कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाया गया है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो,

यदि न्यायालय सोचता है कि आरोपी ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपराध किया हो सकता है, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। कानून इस चरण में एक लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता। **30.** इस संदर्भ में, इस न्यायालय के हालिया निर्णय शेओराज सिंह अहलावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [**(2013) 11** एस सी सी **476 : (2012) 4** एस सी सी (क्री) **21 :** एआइआर **2013** एस सी **52]** का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने ओंकार नाथ मिश्रा बनाम एनसीटी दिल्ली) राज्य ([**(2008) 2** एस सी सी **561 : (2008) 1** एस सी सी (क्री) **507]** में लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण को समर्थन दिया: (शेओराज सिंह अहलावत मामला [**(2013) 11** एस सी सी **476 : (2012) 4** एस सी सी (क्री) **21 :** एआइआर **2013** एस सी **52],** एससीसी पृष्ठ **482,** अनुच्छेद **15)"**

"15. 11. यह स्पष्ट है कि आरोपसिद्धि के चरण में न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां से उभरने वाले तथ्य, उनकी सतही मूल्य पर लिए गए, सभी तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं जो कथित अपराध का गठन करते हैं। उस चरण में, न्यायालय से अपेक्षित नहीं है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के प्रायोगिक मूल्य में गहराई से जाए। विचार करने की आवश्यकता यह है कि क्या अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है और यह नहीं कि आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाया गया है। उस चरण में, यहां तक कि सामग्री पर आधारित मजबूत संदेह जो न्यायालय को आरोपित अपराध के तत्वों की उपस्थिति के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, आरोपी के खिलाफ उस अपराध के लिए आरोप तय करने को उचित ठहराएगा। (ओंकार नाथ मामला [**(2008) 2** एससीसी **561 : (2008) 1** एससीसी (क्री) **507],** एससीसी पृष्ठ **565,** अनुच्छेद **11)"**

(मूल में जोर)

31. अब इस न्यायालय के निर्णयों पर लौटते हैं, जैसे कि सज्जन कुमार [सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, **(2010) 9** एससीसी **368 : (2010) 3** एससीसी (क्री) **1371]** और दिलावर बालू कुराने [दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2002) 2** एससीसी **135 : 2002** एससीसी (क्री) **310],** जिन पर प्रतिवादियों ने भरोसा किया है, हमें यह लगता है कि ये उनके मामले को आगे नहीं बढाते। उपरोक्त निर्णयों में धारा **227** के प्रावधानों पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि आरोप मुक्त करने के चरण में न्यायालय को मामले के पक्ष और विपक्ष की गहराई में जाकर जांच नहीं करनी चाहिए और सबूतों का मूल्यांकन

नहीं करना चाहिए जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा हो। यह उल्लेखनीय है कि कोड धारा 227 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को मुक्त करने की कल्पना करता है, जब मामला उसके द्वारा सुनवाई योग्य हो; पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों को धारा 239 के तहत कवर किया जाता है और अन्यथा पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों को धारा 245 में निपटाया जाता है। उपरोक्त धाराओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें आरोपी के मुक्त होने के संबंध में कुछ भिन्न प्रावधान हैं: **31.1.** धारा 227 के तहत, परीक्षण न्यायालय को आरोपी को मुक्त करना आवश्यक है यदि वह "यह विचार करता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है"। हालांकि, धारा 239 के तहत मुक्त करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब "मैजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है"। धारा 245(1) के तहत मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब "मैजिस्ट्रेट, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए विचार करते हुए, यह मानता है कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है जो, यदि अस्वीकृत नहीं किया गया, तो उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करेगा"। **31.2.** धारा 227 और 239 पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों और पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद आरोपी की परीक्षा के आधार पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने से पहले मुक्त करने का प्रावधान करती हैं। हालांकि, दूसरी ओर, धारा 245 के तहत मुक्त होने का चरण केवल तब पहुंचा जाता है जब धारा 244 में संदर्भित साक्ष्य लिया गया हो। **31.3.** इस प्रकार, इन प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में अंतर है। लेकिन, हमारे अनुसार, इन भिन्नताओं के बावजूद, और चाहे जो भी प्रावधान लागू हो, न्यायालय को इस चरण में यह देखना आवश्यक है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए एक प्रथम दृष्ट्या मामला है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के निर्णय आर.एस नायक बनाम ए.आर. अंतुले [**(1986) 2** एससीसी **716 : 1986** एससीसी (क्री) **256]** का उल्लेख किया जा सकता है। इसका पाठ इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ **755-56,** अनुच्छेद **43) "43**

इस स्थिति में इस अंतर के बावजूद, यह संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस चरण में मैजिस्ट्रेट को धारा 245(1) के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करना होता है, वह एक प्रारंभिक चरण है और प्रथम दृष्ट्या मामले का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए। तीनों धाराओं की भाषा में भिन्नता के बावजूद, कानूनी स्थिति यह है कि यदि परीक्षण न्यायालय संतुष्ट है कि एक प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया गया है, तो आरोप तय किया जाना चाहिए।

9.2. एस.सेल्वी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने धारा 227/228 के चरण में आरोप तय करते समय सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख

किया है। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 6 और 7 में निम्नलिखित अवलोकन और निर्णय दिया है:

"6. यह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 एससीसी 4 : 1979 एससीसी (क्री) 609], दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य [दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 2 एससीसी 135 : 2002 एससीसी (क्री) 310], सज्जन कुमार बनाम सीबीआई [सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, (2010) 9 एससीसी 368 : (2010) 3 एससीसी (क्री) 1371], राज्य बनाम ए. अरुण कुमार [राज्य बनाम ए. अरुण कुमार, (2015) 2 एससीसी 417 : (2015) 2 एससीसी (क्री) 96 : (2015) 1 एससीसी (एल&एस) 505], सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता [सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता, (2015) 3 एससीसी 424 : (2015) 2 एससीसी (क्री) 265], उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी [उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, (2003) 2 एससीसी 711 : 2003 एससीसी (क्री) 688], निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बिज्जया [निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बिज्जया, (1990) 4 एससीसी 76 : 1991 एससीसी (क्री) 47] और सुपरिटेंडेंट एवं कानूनी मामलों के रिमेम्ब्रांसर बनाम अनिल कुमार भुञ्जा [सुपरिटेंडेंट एवं कानूनी मामलों के रिमेम्ब्रांसर बनाम अनिल कुमार भुञ्जा, (1979) 4 एससीसी 274 : 1979 एससीसी (क्री) 1038] शामिल हैं कि न्यायाधीश को धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय सत्र मामलों में (जो वारंट मामलों से संबंधित धारा 239 के समान है) साक्ष्यों को छानने और तौलने की स्पष्ट शक्ति होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी के खिलाफ एक प्राइम फेसी मामला बनाया गया है; जहां अदालत के सामने प्रस्तुत सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, अदालत आरोप तय करने में पूरी तरह से उचित होगी; आमतौर पर यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके सामने प्रस्तुत साक्ष्य कुछ संदेह उत्पन्न करते हैं लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, तो वह आरोपी को मुक्त करने का पूरा अधिकार रखता है। न्यायाधीश केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष का प्रवक्ता नहीं हो सकता, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत बयानों और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी मूलभूत कमजोरी आदि पर विचार करना होगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश मामले के पक्ष और विपक्ष में गहराई से जांच करे और सामग्री का मूल्यांकन करे जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा हो।"

7. सज्जन कुमार बनाम सीबीआई [सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, **(2010) 9** एससीसी **368 : (2010) 3** एससीसी **(Cri) 1371]** में, इस न्यायालय ने धारा **227** और **228** के दायरे के बारे में विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए: (एससीसी पृष्ठ **376-77,** अनुच्छेद **21)**

"(i) न्यायाधीश को धारा **227** सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय साक्ष्यों को छानने और तौलने की स्पष्ट शक्ति होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी के खिलाफ एक प्राइम फेसी मामला बनाया गया है। प्राइम फेसी मामले का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां अदालत के सामने प्रस्तुत सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां अदालत आरोप तय करने और परीक्षण आगे बढाने में पूरी तरह से उचित होगी।

(iii) अदालत केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष का प्रवक्ता नहीं हो सकती, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, किसी भी मूलभूत कमजोरी आदि पर विचार करना होगा। हालांकि, इस चरण में मामले के पक्ष और विपक्ष में गहराई से जांच नहीं की जा सकती और साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जैसे कि वह परीक्षण कर रहा हो।

(iv) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अदालत यह राय बना सकती है कि आरोपी ने अपराध किया हो सकता है, तो वह आरोप तय कर सकती है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने अपराध किया है।"

(v) आरोप तय करते समय, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का प्रायोगिक मूल्य नहीं देखा जा सकता, लेकिन आरोप तय करने से पहले न्यायालय को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री पर अपने न्यायिक विचार लागू करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी द्वारा अपराध का होना संभव था।

(vi) धारा **227** और **228** के चरण में, न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां से उभरने वाले तथ्य, उनकी सतही मूल्य पर लिए गए, सभी तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं जो कथित अपराध का गठन करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्यों को छानना आवश्यक है क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में यह अपेक्षित नहीं है कि अभियोजन द्वारा कहे गए सभी तथ्यों को सच्चाई के रूप में

स्वीकार किया जाए, भले ही वे सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हों।

(vii) यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो परीक्षण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह नहीं देखना है कि परीक्षण दोषसिद्धि में समाप्त होगा या दोषमुक्त।

9.3. माउविन गोडिन्हो (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि धारा **227/228** के तहत आरोप तय करते समय प्राइम फेसी मामले का निर्धारण कैसे किया जाए। उसी निर्णय में इस न्यायालय ने अवलोकन किया और कहा कि धारा **227** के तहत आरोप तय करते समय प्राइम फेसी मामले पर विचार करते समय मामले के पक्ष और विपक्ष में गहराई से जांच नहीं की जा सकती और साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जैसे कि वह परीक्षण कर रहा हो। **9.4.** इस चरण में, इस न्यायालय का निर्णय "स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद" (उपरोक्त) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उस निर्णय में इस न्यायालय को धारा **227/228** के तहत मामले के निर्णय के चरण में जांच के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। अनुच्छेद **11** से **14** में इस न्यायालय के अवलोकन निम्नलिखित हैं:

"**11.** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **227**, जो पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर प्रभाव डालती है, में प्रावधान है:

"**227.** मुक्त करना.-- यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में आरोपी और अभियोजन की प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, न्यायाधीश यह विचार करता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपी को मुक्त करेगा और ऐसा करने के अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा।"

12. धारा **228** न्यायाधीश को आरोप तय करने की आवश्यकता देती है यदि वह यह मानता है कि आरोपी द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है। इन दोनों धाराओं की परस्पर क्रिया पहले ही इस न्यायालय द्वारा विचार का विषय रही है। राज्य बिहार बनाम रमेश सिंह [**(1977) 4** एससीसी **39 : 1977** एससीसी (क्री) **533 : (1978) 1** एससीआर **257]** में, जस्टिस अंतवालिया ने उक्त धाराओं के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा: [एससीआर पृष्ठ **259 :** एससीसी पृष्ठ **41-42 :** एससीसी (क्री) पृष्ठ **535-36,** अनुच्छेद **4]**

दोनों प्रावधानों को एक साथ पढने पर, जैसा कि उन्हें पढा जाना चाहिए, यह स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षण के प्रारंभिक और पहले चरण

में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की सत्यता, विश्वसनीयता और प्रभाव का बारीकी से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। न ही आरोपी की संभावित रक्षा को कोई महत्व दिया जाना चाहिए। उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विवरण में विचार करे और संवेदनशील संतुलन में तौलें कि क्या तथ्य, यदि साबित होते हैं, तो आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। जो परीक्षण और निर्णय का मानक अंततः आरोपी की दोषिता या अन्यथा के संबंध में निष्कर्ष रिकॉर्ड करने से पहले लागू किया जाना है, वह धारा **227** या धारा **228** के तहत मामले के निर्णय के चरण में ठीक से लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस चरण में न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या आरोपी की दोषिता के लिए पर्याप्त आधार है या क्या परीक्षण निश्चित रूप से उसकी दोषिता में समाप्त होगा। आरोपी के खिलाफ मजबूत संदेह, यदि मामला संदेह के क्षेत्र में रहता है, तो परीक्षण के अंत में उसकी दोषिता के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आरोपी द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है, तो न्यायालय यह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

"यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल [**(1979) 3** एससीसी **4 : 1979** एससीसी (क्री) **609 : (1979) 2** एससीआर **229]** में, जस्टिस फजल अली ने कुछ सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख किया: [एससीआर पृष्ठ **234-35 : SCC** पृष्ठ **9 :** एससीसी (क्री) पृष्ठ **613-14,** अनुच्छेद **10]**

"**(1)** न्यायाधीश को धारा **227** के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह स्पष्ट शक्ति होती है कि वह साक्ष्यों को छानने और तौलने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए यह पता लगाए कि क्या आरोपी के खिलाफ एक प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया गया है या नहीं।"

(2) जहां अदालत के सामने प्रस्तुत सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां अदालत आरोप तय करने और परीक्षण आगे बढाने में पूरी तरह से उचित होगी।

(3) प्रथम दृष्ट्या मामले का निर्धारण करने का परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और एक सार्वभौमिक नियम स्थापित करना कठिन है। हालांकि, आमतौर पर यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके सामने प्रस्तुत साक्ष्य कुछ संदेह उत्पन्न करते हैं लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, तो वह आरोपी को मुक्त करने का पूरा अधिकार रखता है।

(4) यह कि धारा **227** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायाधीश, जो वर्तमान कोड के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायालय है, केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष का प्रवक्ता नहीं हो सकता, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी मूलभूत कमजोरी आदि पर विचार करना होगा। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश मामले के पक्ष और विपक्ष में गहराई से जांच करे और साक्ष्यों का मूल्यांकन करे जैसे कि वह परीक्षण कर रहा हो।

14. ये दोनों निर्णय अलग-अलग सिद्धांत नहीं स्थापित करते हैं। प्रफुल्ल कुमार मामले [**(1979) 3** एससीसी **4 : 1979** एससीसी (क्री) **609 : (1979) 2** एससीआर **229]** ने केवल वही दोहराया है जो रमेश सिंह मामले [**(1977) 4** एससीसी **39 : 1977** एससीसी (क्री) **533 : (1978) 1** एससीआर **257]** में कहा गया था। वास्तव में, धारा **227** में स्वयं आरोपी को मुक्त करने के लिए जांच के दायरे के संबंध में पर्याप्त दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसमें प्रावधान है कि "न्यायाधीश तब मुक्त करेगा जब वह विचार करता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है"। संदर्भ में "आधार" दोषसिद्धि का आधार नहीं है, बल्कि आरोपी को परीक्षण में लाने का आधार है। परीक्षण में ही आरोपी की दोषिता या निर्दोषता का निर्धारण किया जाएगा, न कि आरोप तय करते समय।

इसलिए, न्यायालय को सामग्री को छानने और तौलने में विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है। न ही विभिन्न पहलुओं में गहराई से जाने की आवश्यकता है। न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य सामग्री, यदि सामान्यतः स्वीकार की जाए, तो आरोपी को अपराध से उचित रूप से जोडती है। इसके अलावा और कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

9.5. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में स्थापित कानून को लागू करते हुए और धारा **227/228** के तहत आरोप तय करने के चरण में जांच के दायरे पर विचार करते हुए, हमें यह लगता है कि इस चरण में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तर्क अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वे योग्यता पर हैं और उन्हें परीक्षण के दौरान उचित चरण में निपटाया और विचार किया जाना चाहिए। कुछ तर्कों को आरोपी की रक्षा के रूप में माना जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा पीडित/अभियोजन पक्ष के व्यवहार पर किए गए कुछ तर्कों को भी परीक्षण के दौरान उचित चरण में निपटाया और विचार किया जाना चाहिए। इन्हें आरोप तय करने के इस चरण में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, हमें यह लगता है कि आरोपी के खिलाफ एक प्राइम फेसी से अधिक

मामला है जिसके लिए उसे परीक्षण में लाया जाना आवश्यक है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और इसलिए न्यायालय ने सही तरीके से आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से पुष्टि की गई है। इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. एफ़.आई.आर.में किए गए आरोपों के समर्थन में, सूचनाकर्ता का पुनः बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत केस डायरी के अनुच्छेद संख्या 4 में दर्ज किया गया, जिसमें उसने एफ़.आई.आर. में किए गए सभी आरोपों को दोहराया।

10. केस डायरी के अनुच्छेद संख्या 9 में, शिवदशन का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि उसे रेजी के. जॉन से फोन पर जानकारी मिली कि अविनाश और अभिषेक ने सेक्टर- VI शॉपिंग सेंटर के पास उनकी कार उसकी स्कूटी से टकरा दी। इस जानकारी के बाद, वह तुलसी धरमल पिल्लई के साथ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ उन्हें बताया गया कि जब वे आ रहे थे, तब आरोपी व्यक्तियों द्वारा टक्कर मारी गई। इस घटना में रेजी के. जॉन को हल्की चोट आई जबकि राजीव को गंभीर चोट आई और वे जल्दी अस्पताल चले गए गए। राजीव को पसली और बाएँ हाथ की कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ और उसे सिर में भी चोट लगी।

11. केस डायरी के अनुच्छेद संख्या 10 में, तुलसीधरन पिल्लई द्वारा भी इसी प्रकार का बयान दिया गया, जो फोन कॉल प्राप्त करने के बाद शिवदर्शन के साथ गए थे। शिवदर्शन घटना स्थल पर गए और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए।

12. केस डायरी के अनुच्छेद संख्या 31 में, घायल राजीव कुमार का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि 27.04.2022 की रात 09:00 बजे वह अपने दोस्त रेजी के. जॉन के साथ स्कूटी से शॉपिंग सेंटर से आ रहा था। जब वे 09:30 बजे क्रिसेंट स्कूल के पास पहुंचे, तो एक सफेद रंग की मारुति कार, जिसमें अभिषेक और अविनाश सवार थे, ने कार का कांच खोलकर उन पर केरल भाषा में गालियाँ दीं और स्कूटी रोकने को कहा। लेकिन उसने अपने दोस्त से कहा कि स्कूटी न रोके। इसलिए, उन्होंने स्कूटी को ओवरटेक किया और सेक्टर-**VI** शंभू मोड़ के पास स्कूटी से टकरा गए। कार में सवार लोगों ने हत्या करने के इरादे से स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वह और उसका दोस्त घायल हो गए। उसकी पसलियाँ और बाएँ हाथ की कलाई फ्रैक्चर हुईं और उसे सिर में भी चोट लगी। उसके दोस्त को हल्की चोट आई। शिवदर्शन और तुलसीधरन द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विवाद यह था कि आरोपी व्यक्तियों के बीच श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल के कारण दुश्मनी थी।

13. घायल राजीव कुमार की बोकारो जनरल अस्पताल की चोट की रिपोर्ट केस डायरी के पैराग्राफ संख्या 48 और 59 में दिखाई गई है,जिसमें, चोट संख्या 1, बाएं हाथ में घाव 3x2 सेमी डोरसो-पार्श्व क्षेत्र; चोट संख्या 2, बाईं कोहनी, बाएं अग्रभाग और बाएं कंधे पर घर्षण और चोट संख्या 3, एक्सरे संख्या 71562 दिनांकित 27.04.2022 बाएं हाथ की 5 वीं मेटाकार्पल हड्डी और बाएं हाथ की तरफ 6 "से 9" पसलियों में फ्रैक्चर दिखाता है।

14. केस डायरी के अनुच्छेद संख्या **59** के अनुसार, चोटें गंभीर प्रकृति की हैं जो कठोर और कुंद वस्तु द्वारा उत्पन्न हुई हैं।

15. सुरेश बाबू और पंकज कुमार के बयान के अनुसार, दोनों आरोपी, अविनाश उन्निथन और संजीव कुमार को जांच अधिकारी द्वारा सबूतों की कमी के कारण मुक्त कर दिया गया, जबकि अभिषेक उन्निथन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

16. एफआइआर में किए गए आरोपों और जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के अनुसार, यह पाया गया है कि अपीलकर्ता अभिषेक उन्निथन के खिलाफ सबूत हैं, जिनके खिलाफ घायल राजीव कुमार और सूचनाकर्ता रेजी के. जॉन, दोनों ने विशेष रूप से कहा है कि जब वे स्कूटी से आ रहे थे, तो एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार तीन व्यक्तियों ने, जिसमें अभिषेक उन्निथन भी था, कार का कांच खोलकर उनसे स्कूटी रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने स्कूटी नहीं रोकी। सूचनाकर्ता रेजी के. जॉन और घायल राजीव कुमार दोनों ने शिवदर्शन और तुलसीधरन के बयान की भी पुष्टि की, जो फोन कॉल प्राप्त करने के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। उन्होंने अभियोजन की कहानी की भी पुष्टि की, हालांकि उनके ज्ञान का स्रोत वही था जो दोनों घायलों ने उन्हें बताया। चोट की रिपोर्ट भी मौजूद है, जिसमें घायल राजीव कुमार को 6वीं से 9वीं पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं और बाएँ हाथ की 5वीं मेटाकार्पल हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है। चोट की रिपोर्ट केस डायरी के अनुच्छेद संख्या 59 में दिखाई गई है।

17. अभिषेक उन्निथन और अविनाश दोनों कार में सवार थे, जिन्होंने खिड़की का कांच खोलकर उन पर केरल भाषा में गालियाँ दीं और स्कूटी रोकने को कहा, लेकिन राजीव कुमार के आग्रह पर स्कूटी नहीं रोकी गई, जो स्कूटी पर पीछे बैठा था। इसलिए, कार के चालक ने स्कूटी को ओवरटेक किया और शंभू मोड़ के पास को टक्कर मार दी। यह कहा गया है कि कार में सवार लोगों का इरादा हत्या करने का था, लेकिन दोनों घायल गवाहों ने उन व्यक्तियों की मंशा के बारे में कुछ नहीं कहा, जो कार में सवार थे, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है। अपीलकर्ता को केवल यह आरोपित किया गया है कि वह कार में सवार था और केरल भाषा में गालियाँ दीं और स्कूटी के चालक रेजी के. जॉन और राजीव कुमार से स्कूटी रोकने को कहा। उसके बाद, कार का चालक पीछे से को टक्कर मार दी। जांच अधिकारी द्वारा यह कोई सबूत नहीं जुटाया गया कि अपीलकर्ता कार का चालक था, जिसने स्कूटी से टकराया। अपीलकर्ता की ओर से किसी प्रकार की उत्तेजना या कार के चालक को स्कूटी से टकराने के लिए प्रेरित करने का कोई सबूत भी नहीं है। एफआइआर में किए गए आरोपों से, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 325 और 307 के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। लेकिन एफआइआर में किए गए आरोपों और सूचनाकर्ता रेजी के. जॉन के पुनः बयान से केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत एकमात्र अपराध सिद्ध होता है।

18. एफआइआर में दर्ज किए गए आरोपों, जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित समग्र साक्ष्य, अर्थात मौखिक और दस्तावेजी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 325 और 307 के तहत आरोपित अपराध के संबंध में कोई सबूत नहीं है। केवल एकमात्र अपराध, जो एफआइआर में किए गए आरोपों और रेजी के. जॉन के पुनः बयान से सिद्ध होता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ है। इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और यह आपराधिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

19. इस प्रकार, यह आपराधिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 325 और 307 के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता और

भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अपराध की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश को उस हद तक निरस्त किया जाता है।

20. इस आदेश की एक प्रति 'फैक्स' के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित की जाए।

(श्री सुभाष चंद, न्यायधीश)

माधव/ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|